

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025, ग्राम पंचायत :.....8.AS.....

फार्म नं.- III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीविजयनगर

मिर्मलि सिंह.....

बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

नम्बर ...366... सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025 / .....517.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
17.10.25	<p>प्रार्थी की ओर से शिविर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का / भू.अ.नि. / नायब तहसीलदार / तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा दुरुस्ती किए जाने की अनुशंसा की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक .....8.AS..... 354,355 खाता सं. 356,357 में एक ही खातदार की खाता नं 354,355 356,357 से कुल 3.720 है, क/अ.क. कृषि भूमि है। के स्थान पर खाता नं. 354,355,356,357 को एकीकरण कर कुल 3.720 है क.अ.क. कृषि भूमि का जमाबंदी के एक ही खात में इन्हाल किया जाये, की दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से जारी हो। निर्णय मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



शकुन्तला  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीविजयनगर